"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2009—आश्विन 17, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री डी. डी. सिंह, भा. प्र. से. (2000) उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री डी. डी. सिंह, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय ...

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री एस. पी. शोरी, भा. प्र. से. (2000), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, सम्पदा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2009

क्रमांक ई-7/05/2005/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 22-09-2009 से 30-09-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19, 20 एवं 21 सितम्बर, 2009 के स्थानीय/सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री निगार आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री निगार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री निगार अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2009

क्रमांक ई-7/5/2008/1/2.—श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा. प्र. से., आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला दुर्ग को दिनांक 26-09-2009 से 07-10-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टोप्पो, आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2009

क्रमांक-बी-1-1/2009/एक/4.— श्री निरंजन दास (रा. प्र. से., आर. आर. 89, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ श्री बृजेश चन्द्र मिश्र, राज्यपाल के उप सचिव की प्रशिक्षण अवधि दिनांक 22-09-2009 से 13-11-09 तक के लिए संयुक्त सचिव, राजभवन का अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/12/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 16-06-2009 को निरस्त करते हुए श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गौरेला, बिलासपुर छ. ग. को अपने गृह नगर दिल्ली जाने के लिए दिनांक 22-09-2009 से दिनांक 16-10-2009 तक कुल 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 19 से 21 सितंबर 2009 एवं दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश के लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गौरेला, बिलासपुर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गौरेला, बिलासपुर छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-31/2004/29.—राज्य शासन एतद्द्वारा छ. ग. राज्य भण्डार गृह निगम के अंतर्गत सहायक के 16 पद तथा लेखापाल के 19 पद वेतनमान रुपये 4000-6000 को सांख्येतर पद निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

उपरोक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 371/सी.एन. 23109 बजट-5/वित्त/चार 2009, दिनांक 14-09-2009 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 6-1/2004/25/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीन क्षेत्र संयोजक के स्वीकृत 32 पदों में से एक पद को abeyance में रखकर कार्यक्रम निरीक्षक का एक सांख्येत्तर पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 281/27756/2009/बी-3/चार दिनांक 16-9-2009 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2009

क्रमांक 1437/एफ-21/08/नि:शु.वि.यो./09/13/2/ऊ. वि./2009.—राज्य शासन द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2009 से राज्य में कृषकों के 5 हार्स पॉवर तक के विद्युत कनेक्शनों के अंतर्गत नि:शुल्क विद्युत प्रदाय करने की योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है. यह योजना "कृषक जीवन ज्योति योजना" के नाम से संचालित होगी.

2. शासन द्वारा राज्य के किसानों को 5 हार्स पॉवर तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की योजना में पात्रता हेतु निम्न शर्तें लागू रहेंगी :—

2.1 नि:शुल्क विद्युत की सुविधा की पात्रता केवल ऐसे उपभोक्ताओं को रहेगी जिनके द्वारा अधिकतम पांच हार्स पॉवर तक के पंप का उपयोग कृषि सिंचाई में किया जायेगा.

2.2 योजनांतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य को नि:शुल्क विद्युत प्राप्त करने की पात्रता रहेगी.

2.3 नि:शुल्क विद्युत की सुविधा की पात्रता ऐसे कृषक हितग्राहियों को भी प्राप्त होगी जो सामुदायिक सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई कर रहे हैं लेकिन ऐसी अवस्था में प्रत्येक हितग्राही द्वारा उपयोग किये जा रहे कृषि पंप हेतु अधिकतम पांच हार्स पॉवर की सीमा लागू होगी.

2.4 योजनांतर्गत प्रत्येक पात्र कृषि उपभोक्ता हेतु नि:शुल्क विद्युत की सुविधा के लिये विद्युत खपत की वार्षिक सीमा को 6,000 यूनिट रखा गया है.

2.5 वार्षिक विद्युत खपत की उक्त सीमा की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में की जावेगी. यदि प्रत्येक माह की मीटर रीडिंग के आधार पर किसी सिंचाई पंप उपभोक्ता के द्वारा की गई सकल विद्युत की खपत, निर्धारित वार्षिक 6,000 हजार यूनिटों की सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी अवस्था में उक्त माह से नि:शुल्क विद्युत की सुविधा स्वमेव समाप्त हो जायेगी एवं 6,000 यूनिटों से अधिक पाई गई यूनिटों पर प्रभावशील विद्युत दर अनुसार जारी विद्युत देयक का भुगतान संबंधित उपभोक्ता को करना होगा.

2.6 योजनांतर्गत जारी होने वाले सभी नये विद्युत कनेक्शनों के अंतर्गत उपभोक्ता को ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) के द्वारा अनुमोदित पंप सेट, पी.व्ही.सी. सक्शन व डिलीवरी पाईप, घर्षणरहित फुटवाल्व तथा उपयुक्त क्षमता का केपेसिटर लगाना अनिवार्य होगा.

2.7 ऐसे कृषक जिनके पंप वर्तमान में ऊर्जीकृत है, को योजना लागू करने की तिथि अर्थात् 02 अक्टूबर 2009 से अधिकतम चार वर्ष की अवधि या पंप बदलने की अवस्था में, जो भी पहले हो, उन्हें पुराने पंपों के बदले ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) के द्वारा अनुमोदित पंप सेट स्थापित करना होगा, साथ ही वर्तमान जी. आई. पाईप लाईन को पी.व्ही.सी. सक्शन व डिलीवरी पाईप, घर्षणरहित फुटवाल्व से बदलना होगा एवं उपयुक्त क्षमता का केपेसिटर स्थापित करना होगा. अन्यथा निःशुल्क विद्युत प्राप्त करने की पात्रता समाप्त हो जायेगी.

2.8 योजनांतर्गत निःशुल्क विद्युत की सुविधा हेतु प्रत्येक कृषि पंप उपभोक्ता को 20 वाट तक के सी. एफ. एल. की स्थापना प्रकाश हेतु करना अनिवार्य है.

2.9 किसी कृषक उपभोक्ता द्वारा ऊपर क्रमांक (2.6), (2.7) व (2.8) में प्रावधानित शर्तों का पालन न किये जाने पर निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी.

2.10 कृषकों को राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रभावशील विद्युत दरों में सम्मिलित फिक्स्ड कॉस्ट, मीटर किराया, ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान इस हेतु जारी बिजली देयक अनुसार करना होगा.

2.11 ऐसे कृषक उपभोक्ताओं, जिन पर विद्युत देयक राशि का भुगतान बकाया हो, को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा बकाया राशि के भुगतान उपरांत ही मिलेगी एवं निःशुल्क विद्युत हेतु निर्धारित वार्षिक विद्युत खपत की सीमा की गणना ऊपर क्र. 2.5 में दर्शाये गये विवरण के आधार पर की जावेगी.

2.12 योजनांतर्गत शासकीय, अर्द्ध शासकीय कृषि फार्म हाऊस, निगम/निगमों व सार्वजनिक उपक्रम/उपक्रमों को निःशुल्क विद्युत की पात्रता नहीं रहेगी.

2.13 योजना अंतर्गत प्रत्येक कृषि पंप उपभोक्ता को 6,000 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को प्रभावशील विद्युत दरों के अनुसार सभी स्थापित कृषि विद्युत पंप कनेक्शनों के लिये अग्रिम अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध कराया जायेगा.

3. योजना के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त शर्तों पर पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये.

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./22/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तेलीबांधा प. ह. नं. 113	375	0.761	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग क्रमांक-4, रायपुर.	दीनदयाल आवास योजनांतर्गत निम्न आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु.
			376	0.257		
			377	0.571		
		योग	3	1.589		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक/1492/अ.भू.-अ.प्र./06/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	खुरसुल प. ह. नं. 3	0.98	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	बोरई व्यपवर्तन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक/1495/अ.भू.-अ.प्र./08/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	खुरसीडीह प. ह. नं. 3	2.24	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भरदा जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक/1498/अ.भू.-अ.प्र./07/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	खुरसुल प. ह. नं. 3	0.48	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	बोरई व्यपवर्तन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक/1530/अ.भू.-अ.प्र./13/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	चे.ब. नवागांव प. ह. नं. 2.	14.68 (बावड़ी कुआं)	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	जलाशय डुबान क्षेत्र

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्रमांक 1/अ-82/2008-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मोहदा	0.87	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	मोहदा एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2009

रा. प्र. क्र. 4/अ-82/2008-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पथरिया	मोहदी	0.89	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	मोहदा एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2009

रा. प्र. क्र. 5/अ-82/2008-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पथरिया	लुकऊकापा	1.11	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	मोहदी एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्रमांक 15/अ-82/2008-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जैतपुर	1.85	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	लीलागर नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2009

क्रमांक-क/अ.वि.अ./22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	गोधना प. ह. नं. 17	222.777	मुख्य अभियंता, कर्नाटका पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलोर, मु. रायपुर (छ. ग.)	2×800 मेगावाट गोधना ताप विद्युत गृह निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2009

क्रमांक-क/अ.वि.अ./23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	सलखन प. ह. नं. 15	153.207	मुख्य अभियंता, कर्नाटका पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलोर, मु. रायपुर (छ. ग.)	2×800 मेगावाट गोधना ताप विद्युत गृह निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2009

क्रमांक-क/अ.वि.अ./24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	कुकदा प. ह. नं. 16	47.393	मुख्य अभियंता, कर्नाटका पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलोर, मु. रायपुर (छ. ग.)	2×800 मेगावाट गोधना ताप विद्युत गृह निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पींठाआमा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.925 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
119/1	0.032
117/1	0.121
1116	0.065
175	0.040
192	0.016
183	0.194
342/1	0.121
117/3	0.121
337/2	0.122
174	0.045
185	0.170
184	0.069
176/3	0.077
481/1	0.121
176/6	0.045
181	0.065
317/1	0.109
316	0.113
340	0.110
344/1 ख	0.012
341	0.081
343/1	0.020
343/2	0.020
346/2	0.121
347	0.0154
337/1	0.122
352	0.046
353/3	0.156
439/1	0.148
421/2 ङ	0.032
462/2	0.243
464/1	0.049
466/1	0.032
466/2	0.036
470	0.073
471	0.057
477/4	0.020
484/5 ख	0.101
484/2 ग	0.202
477/5 क	0.045
477/5 ख	0.049
481/3	0.194
483/6	0.012
484/5 क	0.045
484/4 क	0.089
502	0.010
योग 44	3.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीठाआमा-जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण का प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2009

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-जांजी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
535/3	0.55
योग	0.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ताप विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक/1533/13 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-चे. ब. नवागांव, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.68 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
98/1	14.68 (बावड़ी, कुआं)
योग	14.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जलाशय डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2009/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरेकेलकला, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.447 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	701	0.049
	696/3	0.004
	702	0.146
	707	0.024
	721/1	0.036
	721/2	0.036
	728/1	0.012
	728/2	0.016
	728/3	0.032
	728/4	0.032
	728/5	0.028
	728/6	0.032
योग	12	0.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जैतपुर हसौद मार्ग पर महानदी सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2009

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./07/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसुलीडीह, प. ह. नं. 96
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.219 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	325/2	0.219
योग		0.219

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र.-3) मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/12-अ/82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-भरतपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.322 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
694	0.008
693/1	0.081
692/2	0.210
635/1	0.020
634/1	0.061
633	0.065
631	0.219
505	0.004
507	0.089
508	0.008
48/1	0.045
510/1	0.032
48/4	0.113
510/2	0.065
509	0.028
53	0.065
516	0.061
95	0.053
517	0.004
521	).287
44	).105
186	0.065
59/1	0.069
59/2	0.077
90	0.004
189	0.085
188	0.040
194	0.049
195	0.053
94	0.073
64/1	0.121
92/2	0.004
91/2	0.085
91/1	0.053
86	0.077
85	0.061
84	0.081
63/2	0.024
64/2	0.032
65	0.040
54/1	0.077
52/2	0.028
54/2, 52/1	0.004
46	0.129
45	0.121
302	0.028
303	0.150
51	0.069
योग 49	3.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खपरी उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/67/भू-अर्जन/अ.वि.अ./5/अ/82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-मोखापुटका, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.298 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
220/2	0.07
440	0.05
441/2	0.02
441/1	0.03
442	0.01
480	0.20
482	0.11
846/1	0.03
487	0.06
499	0.05
494	0.01
498	0.04
503	0.01
506	0.05
517	0.02
507	0.01
516	0.01
504	0.01
515	0.03
382	0.01
383	0.03
513	0.04
512	0.01
386	0.03
384	0.05
385	0.05
414	0.849
362	0.040
361/3	0.072
412	0.101
410/4	0.345
408/1	0.089
408/2	0.020
411	0.231
774/2	0.345
407/3	0.049
831	0.093
410/5	0.024
योग 38	3.298

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोखापुटका जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/69/भू-अर्जन/अ.वि.अ./9/अ/82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-बांदुपाली, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83	0.10
86	0.04
214, 216	0.08
88	0.12
83	0.03
83	0.10
219	0.01
143	0.01
123	0.04
188, 212	0.08
90	0.01
167	0.02
	0.03
189	0.01
90	0.09
184, 192	0.06
182	0.06
183	
193	
194	
योग 22	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंदलीमाल जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/71/भू-अर्जन/अ.वि.अ./10/अ/82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-राफेल, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	813	0.08
	813	0.13
योग	2	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोरघाटी जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/73/भू-अर्जन/अ.वि.अ./7/अ/82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-गम्हारडीह, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	121	0.09
	117	0.05
योग	2	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंदलीमाल जलाशय योजना के उलट/शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/75/भू-अर्जन/अ.वि.अ./6/अ/82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-कालीदरहा, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	25, 28	0.29
योग	2	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कालीदरहा जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/77/भू-अर्जन/अ.वि.अ./8/अ/82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-कस्तुराबहाल, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	276	0.02
	277	0.02
	280	0.01
	281	0.01
	199	0.06
	282	0.04
	200	0.06
	198/1	0.01
	395	0.18
	157	0.02
	188	0.02
	193	0.05
	192/1	0.10
	187	0.10
	154	0.06
	395	0.10
	155	0.09
	117	0.09
	152	0.02
योग	19	1.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोरघाटी जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/79/भू-अर्जन/अ.वि.अ./11/अ/82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-आंवला चक्का, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.97 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1460	0.23
1420	0.94
1476/1	1.21

	(1)	(2)
	1131	0.47
	1146	0.28
	1139/1	0.12
	1357/1	0.31
	1366/2	0.23
	1502	0.56
	1145	0.12
	1166/1	0.11
	1588	0.27
	1671	0.10
	1672	0.02
	1673	0.02
	1674	0.24
	1587	0.10
	1469	0.49
	1474	0.15
योग	19	5.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छीर्रापाली जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/81/भू-अर्जन/अ.वि.अ./8/अ/82/वर्ष 2002-03.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगरीपाली, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/3	0.06
	4	0.02
	5	0.03
	6	0.01
	7	0.05
	8	0.07
	78	0.02
	79	0.02
योग	08	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/83/भू-अर्जन/अ.वि.अ./4/अ/82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-छिर्रापाली, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135	0.31
167	0.14
168	0.15
169	0.04

	(1)	(2)
	170	0.04
	228	0.15
	133	0.39
	152/1	0.06
	153	0.15
	156	0.43
	157	0.91
	108	0.44
	109	0.07
	115/1	0.10
योग	14	3.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छीर्रापाली जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/85/भू-अर्जन/अ.वि.अ./3/अ/82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-महासमुन्द
 (ख) तहसील-सरायपाली
 (ग) नगर/ग्राम-साजापाली, प. ह. नं. 1
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	90/1	0.20
	94/1	0.10
योग	2	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छीर्रापाली जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला नारायणपुर, छ. ग.

नारायणपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2009

क्रमांक/23/अ.भू.अ./2009.—तहसील ओरछा में प्रशासनिक कार्य की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये मैं, एल. एस. केन, आई.ए.एस.

कलेक्टर नारायणपुर, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसील ओरछा में एक निम्नानुसार पटवारी हल्का का सृजन तत्काल प्रभाव से करता हूं.

क्रमांक	तहसील का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक व नाम	पटवारी हल्का में सम्मिलित ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत के आश्रित ग्रामों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ओरछा	01-ओरछा	ओरछा	ओरछा मंडाली बड़ेटोंडा बेड़ा गदाड़ी
			गुदाड़ी	गुदाड़ी मरकाबेड़ा जुवाड़ा जबगुण्डा कुमनार

एल. एस. केन,
कलेक्टर.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा

बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास रायपुर, छ. ग.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2009

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2009/602.—राज्य सेवा परीक्षा 2005 के माध्यम से चयनीत एवं परिवीक्षा पर नियुक्त परिवीक्षाधीन सहायक संचालकों के लिए विभागीय परीक्षा भाग एक दिनांक 24-08-2009 से 27-08-2009 तक आयोजित की गई. परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर निम्नांकित सहायक संचालक विभागीय परीक्षा भाग एक में उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं :—

क्र.	रोल नंबर	सहायक संचालक का नाम
1.	301	श्री अविनाश तिवारी
2.	302	श्री विनय कुमार ठाकुर
3.	303	डॉ. राजकुमार पटेल

अजयपाल सिंह,
संचालक.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2009

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./वि. परीक्षा/2009/622.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में नियुक्त सहायक संचालकों (द्वितीय बैच) के लिये विभागीय परीक्षा भाग-दो निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार कार्यालय आयुक्त स्थानोय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ. ग.) आयोजित होगी :—

क्र.	प्रश्नपत्र	दिनांक	दिन	विषय	अवधि
1.	प्रथम (अ)	28-10-09	बुधवार	विधान मंडल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	$1^{1/2}$ घंटे 11.00 से 12.30 तक
2.	प्रथम (ब)	28-10-09	बुधवार	विधान मंडल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	$2^{1/2}$ घंटे 2.00 से 4.30 तक
3.	द्वितीय	29-10-09	गुरुवार	सेवा नियम एवं विनियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	3 घंटे 11.00 से 2.00 तक
4.	तृतीय	29-10-09	गुरुवार	सेवा नियम एवं विनियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	3 घंटे 2.30 से 5.30 तक
5.	चतुर्थ	30-10-09	शुक्रवार	शासकीय लेखे, लोक निर्माण लेखा (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	3 घंटे 11.00 से 2.00 तक
6.	पंचम	30-10-09	शुक्रवार	शासकीय लेखे, लोक निर्माण लेखा (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	3 घंटे 2.30 से 5.30 तक
7.	षष्टम	31-10-09	शनिवार	शासकीय अंकेक्षण एवं वाणिज्य अंकेक्षण (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	3 घंटे 11.00 से 2.00 तक
8.	सप्तम	31-10-09	शनिवार	वित्तीय प्रबंध एवं लागत लेखा (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	3 घंटे 2.30 से 5.30 तक

जी. के. पुर्रे,
उप-संचालक/परीक्षा नियंत्रक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक 9983/अधीक्षक/2009.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक ई-1-5/2006/ /2 रायपुर दिनांक 25 जुलाई 2009 के अनुक्रम में श्री बासवाराजू एस. आई. ए. एस. (परिवीक्षाधीन) को अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा जिला

कोरबा के पद पर पदस्थ किये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7108/अधीक्षक/2009 दिनांक 24-7-2009 के अनुसार जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर के मध्य किया गया कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन किया जाता है.

01. **श्री पी. एल. निहालानी, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरबा**

1. नोडल अधिकारी, खाद्य शाखा
2. नोडल अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. पासपोर्ट
4. लायसेंस
5. कटघोरा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि बंटन
6. कटघोरा अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
7. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिए)
8. नोडल अधिकारी, आदिमजाति कल्याण विभाग
9. नोडल अधिकारी, सामान्य निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंप गये अन्य कार्य.

02. **श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर**

1. डिप्टी कलेक्टरों/जिला अधिकारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के अवकाश, वेतनवृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
2. अपर कलेक्टर (नजूल)
3. नगर सेना
4. सांख्य लिपिक शाखा
5. वरिष्ठ लिपिक अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा
6. कोरबा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि बंटन
7. कोरबा अनुभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
8. नोडल अधिकारी अन्त्याव्यवसायी
9. नोडल अधिकारी कृषि एवं उद्यान

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

03. **श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी

1. सामान्य निर्वाचन
2. स्थानीय निर्वाचन
3. प्रपत्र, लेखन सामग्री एवं मुद्रण
4. राजस्व मोहर्रिर
5. जिला नाजिर

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

04. **श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी

1. सिटी मजिस्ट्रेट थाना बाल्को, कोरबा थाना क्षेत्रों के लिए
2. सत्कार अधिकारी
3. नजूल अधिकारी
4. भाड़ा नियंत्रक
5. वाचक कलेक्टर
6. शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच

7. जनदर्शन/जनसम्पर्क
8. विशेष कक्ष

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

05. **श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी

1. प्रतिलिपि शाखा
2. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल
3. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
4. आवक जावक
5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
6. दंगा पीड़ित 1984
7. जिला शहरी विकास अभिकरण
8. सूचना के अधिकार
9. सहायक अधीक्षक (विविध)
10. 20 सूत्रीय
11. पर्यावरण शाखा
12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग
13. नोडल अधिकारी, गृह निर्माण मंडल

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

06. **श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर कोरबा**
प्रभारी अधिकारी

1. सिटी मजिस्ट्रेट थाना दर्री, कुसमुण्डा थाना क्षेत्रों के लिए
2. वित्त स्थापना
3. जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा
4. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
5. सहायक अधीक्षक (राजस्व)
6. भू-अभिलेख
7. व्यवहारवाद
8. अल्प बचत
9. भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच
10. सहायक अधीक्षक (सामान्य)
    (पुरातत्व एवं पर्यटन, आरबीसी के प्रकरण, सोल्शियम फंड/संजीवनी)
11. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम
12. आपदा एवं राहत शाखा

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

07. **सुश्री रेणुका श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन)**
प्रभारी अधिकारी

1. नवोदय विद्यालय
2. कम्प्यूटर शाखा
3. राजस्व आंकिक
4. सिटीजन हेल्प लाइन

5. न्यायालय कलेक्टर कोरबा के पट्टा जांच/निरस्तीकरण संबंधी मामलों में कार्यवाही पूर्ण करना तथा आदेश के लिये प्रस्तुत करना.
6. प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक शाखा में प्रशिक्षण प्राप्त करना.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

08. **श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोरबा**

01. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के ग्रामीण क्षेत्र)

5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

02. **आपराधिक**

1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिये अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C.R.P.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

03. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसम्पर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

09. **श्री बासवाराजू एस., आई. ए. एस. (परिवीक्षाधीन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा.**

01. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

02. **आपराधिक**

1. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील के लिये अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C.R.P.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी), तीन (डी) एवं पांच को स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

03. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसम्पर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम के सामने दर्शाये गये अधिकारी

उनको आवंटित कार्य का निष्पादन करेंगे :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	संयोजन अधिकारी (3)
1.	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर
2.	श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर
3.	श्री बासवाराजू एस., आई.ए.एस. (परीवीक्षाधीन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा.	श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कले. कोरबा
4.	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर
5.	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, डिप्टी कलेक्टर	श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर
7.	श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, डिप्टी कलेक्टर
8.	श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कले., कोरबा	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, डिप्टी कलेक्टर

ए. के. अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, गन्ना आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

क्रमांक/गन्ना/आरक्षण/2009-10/43.—मैं, बी. एल. अग्रवाल, गन्ना आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर, छ. ग. गन्ना अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना बालोद, जिला दुर्ग के लिये निम्न शर्तों के साथ गन्ना पेराई वर्ष 2009-2010 के लिये संलग्न ग्रामों की सूची के अनुसार गन्ना क्षेत्र आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड का नाम	आरक्षित ग्रामों की संख्या
1.	दुर्ग	बालोद	21
2.	—,,—	गुरूर	13
3.	—,,—	डौण्डीलोहारा	17
4.	—,,—	डौण्डी	13
5.	—,,—	गुन्डरदेही	11
6.	—,,—	पाटन	15
7.	—,,—	दुर्ग	9
8.	—,,—	धमधा	33
9.	—,,—	बेरला	27
10.	—,,—	साजा	13

1. गन्ना प्रबंधन द्वारा कारखाना की पेराई क्षमता के अनुसार पेराई कार्यक्रम निर्धारित कलेण्डर के अनुसार गन्ना कृषकों को पर्ची वितरत की जावेगी जिसके आधार पर कृषकों द्वारा नियत तिथि को गन्ने की आपूर्ति कारखाने को को जावेगी.

2. आगामी पेराई वर्ष 2010-2011 में आरक्षित क्षेत्र में गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने होंगे.

यह आदेश जब तक कि इस हेतु समपरिवर्तित या अपवर्तित आदेश प्रसारित न किया जाये, गन्ना पेराई वर्ष 2009-2010 के लिये प्रभावशील होगा.

बी. एल. अग्रवाल,
आई.ए.एस.,
गन्ना आयुक्त.

पेराई सत्र 2009-10 हेतु अधिसूचित ग्रामों की सूची

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	गन्ने फसल का क्षेत्र (हे.)	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बालोद	बघमरा	8.89	
2.	बालोद	ओरमा	1.16	
3.	बालोद	मेढकी	1.10	
4.	बालोद	मनौद	1.40	
5.	बालोद	भावराभाठा	.70	
6.	बालोद	कोहंगाटोला	.30	
7.	बालोद	घुमका	.28	
8.	बालोद	परसदा	2.30	
9.	बालोद	उमरादाह	.50	
10.	बालोद	अरौद	.50	
11.	बालोद	बलौद	.60	
12.	बालोद	मुल्ले	.60	
13.	बालोद	लाटाबोड	.50	
14.	बालोद	बोडकी	1.51	
15.	बालोद	मटिया	.34	
16.	बालोद	सुन्दरा	.50	
17.	बालोद	खुर्सीपार	.20	
18.	बालोद	डेंगरापार	.10	
19.	बालोद	सेहतरा	.55	
20.	बालोद	जगतरा	.50	
21.	बालोद	हथौद	.50	
		योग	23.03	
1.	गुरूर	भोथली	1.20	
2.	गुरूर	धानापुरी	0.08	
3.	गुरूर	कोचेरा	.16	
4.	गुरूर	कनेरी	.50	
5.	गुरूर	धनेली	.08	
6.	गुरूर	बडभुम	1.00	
7.	गुरूर	हितेकसा	.12	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	गुरूर	डाडेसरा	.08	
9.	गुरूर	सेहपुर	.80	
10.	गुरूर	डोटोपार	.10	
11.	गुरूर	पलारी	1.50	
12.	गुरूर	अरमरीकला	.30	
13.	गुरूर	नारागांव	.20	
		योग	6.12	
1.	डौण्डीलोहारा	पापरा	1.30	
2.	डौण्डीलोहारा	सोरली	1.03	
3.	डौण्डीलोहारा	बहेराभाठा	0.75	
4.	डौण्डीलोहारा	परसुली	.60	
5.	डौण्डीलोहारा	कापसी	.12	
6.	डौण्डीलोहारा	महराजपुर	.20	
7.	डौण्डीलोहारा	खरथुली	.40	
8.	डौण्डीलोहारा	खेरथा	.40	
9.	डौण्डीलोहारा	गहीरानवागांव	2.00	
10.	डौण्डीलोहारा	फुलसुंदरी	3.00	
11.	डौण्डीलोहारा	हरदी	1.20	
12.	डौण्डीलोहारा	जेवरतला	.40	
13.	डौण्डीलोहारा	दुधली	.12	
14.	डौण्डीलोहारा	बुंदेली	.12	
15.	डौण्डीलोहारा	मुजगहन	.12	
16.	डौण्डीलोहारा	गणेशखपरी	.50	
17.	डौण्डीलोहारा	खैरीडीह	1.18	
		योग	13.44	
1.	डौण्डी	अवारी	.50	
2.	डौण्डी	कारूटोला	.44	
3.	डौण्डी	भोयरटोला	.12	
4.	डौण्डी	कोटागांव	.08	
5.	डौण्डी	कुसुमकसा	.60	
6.	डौण्डी	गोटाटोला	.40	
7.	डौण्डी	मंगलतराई	.36	
8.	डौण्डी	साल्हे	.25	
9.	डौण्डी	पद्देटोला	1.00	
10.	डौण्डी	गुजरा	.50	
11.	डौण्डी	बुंदेली	.50	
12.	डौण्डी	तुमड़ीसुर	.04	
13.	डौण्डी	खैरवाही	.08	
		योग	4.87	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गुण्डरदेही	साकरी	.20	
2.	गुण्डरदेही	पेंडरी	.30	
3.	गुण्डरदेही	सीर्राभाठा	.16	
4.	गुण्डरदेही	रौना	.20	
5.	गुण्डरदेही	जोरातराई	.02	
6.	गुण्डरदेही	देवरी द	.02	
7.	गुण्डरदेही	बेलौदी	.10	
8.	गुण्डरदेहो	बघमरा	.86	
9.	गुण्डरदेही	मड़ियापार	.10	
10.	गुण्डरदेही	पैरी	.04	
11.	गुण्डरदेही	रजौली	.08	
		योग	2.18	
1.	पाटन	रिवागहन	.80	
2.	पाटन	बटरेल	.52	
3.	पाटन	उमरपोटी	.40	
4.	पाटन	सुंकोना	.12	
5.	पाटन	कौरी	.73	
6.	पाटन	अचानकपुर	.12	
7.	पाटन	चुनकट्टा	.12	
8.	पाटन	छाटा	.50	
9.	पाटन	किकिरमेटा	.20	
10.	पाटन	आगेसरा	.40	
11.	पाटन	सीरसाकला	4.20	
12.	पाटन	रूही	.10	
13.	पाटन	मगरघटा	44.00	
14.	पाटन	सैलुद	.20	
15.	पाटन	औसर	.20	
		योग	52.61	
1.	दुर्ग	कोकड़ी	.60	
2.	दुर्ग	चंदखुरी	.60	
3.	दुर्ग	उमरपोटी	2.00	
4.	दुर्ग	महमरा	2.00	
5.	दुर्ग	कुथरेल	.50	
6.	दुर्ग	विनायकपुर	.14	
7.	दुर्ग	खाडा	.10	
8.	दुर्ग	असनारा	10.00	
9.	दुर्ग	कोटनी	.20	
		योग	16.14	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धमधा	धमधा	25.20	
2.	धमधा	सीरनाभाठा	4.00	
3.	धमधा	सगनी	15.00	
4.	धमधा	कौडिया	18.00	
5.	धमधा	सेवती	13.00	
6.	धमधा	मुड़पार	.80	
7.	धमधा	मोहनी	.10	
8.	धमधा	चेटवा	28.72	
9.	धमधा	अछोटी	4.38	
10.	धमधा	गुढी	12.64	
11.	धमधा	सेंडी	29.00	
12.	धमधा	डुमर	14.40	
13.	धमधा	गिरौला	72.60	
14.	धमधा	माटरा	20.00	
15.	धमधा	नंदनीखुंदनी	5.00	
16.	धमधा	बानबरद	28.60	
17.	धमधा	अहिवारा	80.00	
18.	धमधा	मोरेगा	12.00	
19.	धमधा	खजरी	2.00	
20.	धमधा	तरपोरी	15.00	
21.	धमधा	तठिया	18.00	
22.	धमधा	मुरमंदा	12.00	
23.	धमधा	खपरी	4.00	
24.	धमधा	धौर	11.20	
25.	धमधा	कपसदा	10.00	
26.	धमधा	चेरहा	16.00	
27.	धमधा	खासाडीह	24.00	
28.	धमधा	लहंगा	.60	
29.	धमधा	मलपुरीकला	15.80	
30.	धमधा	कुम्हारी	3.00	
31.	धमधा	पंचदेवरी	24.00	
32.	धमधा	ओटेबंद	12.80	
33.	धमधा	मुर्रा	2.80	
		योग	**554.64**	

कुल योग :- कुल ग्राम की संख्या 132

कुल रकबा 673.03 हेक्टेयर

अतिरिक्त अधिसूचित किये जाने वाले ग्रामों की सूची

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	गन्ना फसल रकबा (हे.)	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बेरला	कोसपातर	2.00	
2.	बेरला	मटिया	11.00	
3.	बेरला	सिंगदेही	7.00	
4.	बेरला	जमघट	24.00	
5.	बेरला	बेलौदी कला	9.00	
6.	बेरला	मुड़पार खुर्द	07.00	
7.	बेरला	तेलगा	15.00	
8.	बेरला	अतरगढ़ी	5.00	
9.	बेरला	तारालीम	18.00	
10.	बेरला	लेंजवारा	29.00	
11.	बेरला	बेरला	48.00	
12.	बेरला	लावातरा	40.00	
13.	बेरला	गाडामोर	78.00	
14.	बेरला	सिंगारडीह	4.00	
15.	बेरला	टठियाकला	5.00	
16.	बेरला	खामतरई	6.00	
17.	बेरला	आनंदगांव	34.00	
18.	बेरला	नवागांव	16.00	
19.	बेरला	खुडमुड़ा	12.00	
20.	बेरला	सांकरा	13.00	
21.	बेरला	देवादा	1.20	
22.	बेरला	अकोली	10.00	
23.	बेरला	बहेरा	10.00	
24.	बेरला	देवरी	24.00	
25.	बेरला	पतोरा	10.00	
26.	बेरला	गोंडगिरी	16.00	
27.	बेरला	करामाल	8.80	
		योग	**726.00**	
1.	साजा	देवकर	7.00	
2.	साजा	राखी	114.40	
3.	साजा	अमलीडीह	20.00	
4.	साजा	परसगोड	50.00	
5.	साजा	साजा	39.60	
6.	साजा	डोंगीतराई	10.00	
7.	साजा	केवतरा	4.69	
8.	साजा	लालपुर	3.00	
9.	साजा	संबलपुर	26.00	
10.	साजा	खाती	2.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	साजा	अकलवारा	5.00	
12.	साजा	नौकेसा	2.00	
13.	साजा	बंदराका	4.00	
		योग	284.69	

आरिक्षत किये जाने वाले ग्रामों की संकलित जानकारी

1.	कारखाना क्षेत्र में ग्रामों की संख्या (बालोद, गुरूर, डौंडीलोहारा, डौंडी, गुंडरदेही, पाटन, दुर्ग एवं धमधा)	132	रकबा - 673.03
2.	कारखाना क्षेत्र के बाहर के ग्रामों की संख्या (बेरला एवं साजा)	- 46	रकबा - 1010.69
	महायोग	**ग्राम - 176**	**रकबा - 1683.73**

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर, जिला-महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 20 जुलाई 2009

क्रमांक/861/प्र. मं. ग्रा. स. यो./2009.—महासमुन्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए खनिज सामग्री (मुरुम, रेत, गिट्टी, पत्थर) का परिवहन 12 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क मार्ग से होता है ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालय एवं मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण किया गया है. इन मार्गों का मानक डिजाईन जिले की अन्य सड़क मार्ग (ओ.डी.आर.) के बराबर होने के कारण व्यावसायिक माल वाहनों के संचालन से क्षति पहुंचती है इनके रख-रखाव पर राजस्व का व्यय होता है.

उपरोक्त कारणों से यह समाधान हो गया है कि सार्वजनिक लोक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से और सड़क एवं पुल-पुलियों के स्वरूप एवं मापदण्ड को देखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना महासमुन्द जिले के मार्गों पर भारी वाहनों (12 टन से अधिक) के आवागमन हेतु निषेधित करना अति आवश्यक हो गया है.

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 की शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं श्रीमती निहारिका बारिक, जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द जिले में निम्न मार्गों पर 12 टन से अधिक क्षमता के माल वाहनों के आवागमन को प्रतिषेध करती हूं.

क्र.	विकासखण्ड का नाम	रोड का नाम	लंबाई (कि. मी. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महासमुन्द	खट्टी से परसदा	4.00
2.	महासमुन्द	पटेवा से खट्टा	3.00
3.	महासमुन्द	जोबा से पीढ़ी	6.00

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	महासमुन्द	जोबा से अछोला	2.00
5.	महासमुन्द	महासमुंद फिंगेश्वर रोड से कनेकेरा	3.00
6.	महासमुन्द	एन. एच. 6 से बावनकेरा	2.50
7.	महासमुन्द	महासमुंद तुमगांव रोड से लोहारडीह	5.50
8.	महासमुन्द	एन. एच. 6 से चिरको	1.80
9.	महासमुन्द	एन. एच. 6 से नवागांव	1.70
10.	महासमुन्द	बागबाहरा रोड से गोड़पाली	3.50
11.	महासमुन्द	महासमुंद तुमगांव रोड से परसवानी	5.50
12.	महासमुन्द	एन. एच. 217 से खैरा	1.50
13.	महासमुन्द	महासमुंद फिंगेश्वर रोड से धनसूली	5.00
14.	महासमुन्द	एन. एच. 217 से साराडीह	5.00
15.	महासमुन्द	एन. एच. 6 से छिन्दोली	1.00
16.	महासमुन्द	एन. एच. 6 से भावा	3.23
17.	महासमुन्द	टी–05 (तुरेंगा) से कोलपदर	2.00
18.	महासमुन्द	एन. एच. 6 (टी–02) से जोरातराई	1.90
19.	महासमुन्द	टी–011 (महासमुंद) से लाफिनखुर्द	8.15
20.	महासमुन्द	टी–09 से जीवतरा	8.50
21.	महासमुन्द	सिनोधा से रायतुम	6.00
22.	महासमुन्द	एन. एच. 6 (झलप) से रामपुर	8.25
23.	महासमुन्द	टी–6 (छिलपावन) से नयापारा	4.10
24.	महासमुन्द	एन. एच. 6 से मुनगासेर	4.50
25.	महासमुन्द	एन. एच. 217 से सिरगिड़ी	1.20
26.	महासमुन्द	एन. एच. 217 से जामपाली (जामली)	0.92
27.	बागबाहरा	बागबाहरा से बकमा	10.00
28.	बागबाहरा	घुंचापाली से जुनवानी कला	3.18
29.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से एम. के. बहरा	1.25
30.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से जुनवानी खुर्द	6.73
31.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से खोपली	1.72
32.	बागबाहरा	दुहलू से खैरटकला	2.30
33.	बागबाहरा	बागबाहरा झलप रोड से सिर्रीपठारीमुडा	1.93
34.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से कसीहबाहरा	1.80
35.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से कोमा	7.05
36.	बागबाहरा	बागबाहरा झलप रोड से दाबपाली	1.40
37.	बागबाहरा	बागबाहरा झलप रोड से गबौद	5.30
38.	बागबाहरा	कसेकेरा से टोंगोपाली	3.70
39.	बागबाहरा	कोमाखान नर्रा खट्टी रोड से पतेरापाली, बोईरगांव	6.40
40.	बागबाहरा	गांजर से तुपकबोरा	2.00
41.	बागबाहरा	एन. एच. 217 ओंकारबंद से चुरकी	3.00
42.	बागबाहरा	बागबाहरा पिथौरा रोड से छुईया	8.50
43.	बागबाहरा	बागबाहरा बकमा रोड से सोनापुट्टी	2.00
44.	बागबाहरा	कोमाखान खट्टी रोड से झलमला	0.90

(1)	(2)	(3)	(4)
45.	बागबाहरा	कोमाखान खट्टी रोड से मुड़पार	5.20
46.	बागबाहरा	कोमाखान खट्टी रोड से राटापाली	2.85
47.	बागबाहरा	परसुली से परकोम	3.45
48.	बागबाहरा	बागबाहरा रेवा रोड से नरतोरी	2.48
49.	बागबाहरा	सम्हर से मुड़ागांव	2.90
50.	बागबाहरा	गांजर से सोहागपुर	4.90
51.	बागबाहरा	टी. आर. 02 से सालडबरी	2.40
52.	बागबाहरा	बागबाहरा से टेका	25.05
53.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से सिवनीकला	3.10
54.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से खैरटखुर्द	2.05
55.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से बटोरा	3.15
56.	बागबाहरा	कोमाखान-छुरा रोड से द्वारतकला	6.90
57.	बागबाहरा	कोमाखान-छुरा रोड से भोथा	3.40
58.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से चरोदा	3.90
59.	बागबाहरा	बागबाहरा झलप रोड से दारगांव	0.95
60.	बागबाहरा	बागबाहरा झलप रोड से कलमीदादर	2.00
61.	बागबाहरा	सम्हर छुईया रोड से कौसरा	3.60
62.	बागबाहरा	बागबाहरा पिथौरा रोड से बिराजपाली	3.70
63.	बागबाहरा	सिर्रीपठारीमुड़ा से बांदामुड़ा	5.70
64.	बागबाहरा	आंवराडबरी खुसरूपाली रोड से बरबसपुर	2.80
65.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से मोहंदी	3.35
66.	बागबाहरा	पडकीपाली से भालुचुंवा	3.60
67.	बागबाहरा	बकमा से कोटरीपानी	3.02
68.	बागबाहरा	टी-08 से खुसरूपाली	1.50
69.	बागबाहरा	टी-08 से जामगांव	1.12
70.	बागबाहरा	बोकरामुड़ा कला से बोकरामुड़ा खुर्द	2.12
71.	बागबाहरा	टी-08 से घोटियापानी	1.02
72.	बागबाहरा	टी-08 से हाथीबाहरा	2.72
73.	बागबाहरा	टी-06 (कोमाखान छुरा रोड) से बिडोरा	1.92
74.	बागबाहरा	एन. एच. 217 (मौलीमुड़ा) से बसुंलाडबरी	3.90
75.	बागबाहरा	एन. एच. 217 से खुर्सीपार	3.50
76.	बागबाहरा	टी-09 से हिच्छा	1.62
77.	बागबाहरा	टी-09 से पोटिया	2.40
78.	पिथौरा	एन. एच. 6 से गोपालपुर	6.00
79.	पिथौरा	एन. एच. 6 से सोनासिली	3.00
80.	पिथौरा	बुन्देली से रेवतियापारा	1.50
81.	पिथौरा	ठाकुरदिया खुर्द से बरेकेलखुर्द	2.10
82.	पिथौरा	ठाकुरदिया कला से घोघरा	5.70
83.	पिथौरा	पिथौरा आसींद रोड से किशनपुर	1.50
84.	पिथौरा	एन. एच.-6 से रेमड़ा	1.86
85.	पिथौरा	एन. एच.-6 से डाभाखार	1.36

(1)	(2)	(3)	(4)
86.	पिथौरा	सांकरा से देवसराल	3.80
87.	पिथौरा	देवरी से सलडीह	7.20
88.	पिथौरा	जंघोरा से गिरना	23.40
89.	पिथौरा	जंघोरा से मोहदा	8.94
90.	पिथौरा	पिरदा से चिरगाडोडा	3.20
91.	पिथौरा	सांकरा से झगरनडीह	16.00
92.	पिथौरा	एन. एच.-6 (लहरौदपड़ाव) से भीथिडीह	8.60
93.	पिथौरा	टी. आर.-5 नरसिंगपुर से सीतापुर	1.90
94.	पिथौरा	पिरदा से चनाट	12.50
95.	पिथौरा	टी. आर. 10 कुम्हारीमुड़ा से बढईपाली	5.00
96.	पिथौरा	मुढीपार से जम्हर	6.63
97.	पिथौरा	टी. 08 से बारिकपाली	8.00
98.	पिथौरा	टी. आर. 07 से कंचनपुर व्हाया-पतेरापाली (मोहगांव)	4.80
99.	पिथौरा	सागुनढाप से बगारदराह	4.13
100.	पिथौरा	रेमड़ा से बमड़ाडीह	1.90
101.	बसना	बरौली से मेदनीपुर	2.50
102.	बसना	बरौली से केवटापाली	1.00
103.	बसना	बरतीयाभाटा से संतपाली	2.22
104.	बसना	भंवरपुर (भूतिपाली) से चिपरीकोना	3.00
105.	बसना	छोटे ढाबा से बड़े ढाबा	1.50
106.	बसना	एन. एच. 6 से गैरटेक	3.50
107.	बसना	टी. आर. 04 सागरपाली से दुर्गापाली	3.50
108.	बसना	एन. एच. 6 से जामड़ी	2.85
109.	बसना	टी. 06 (अकोरी) से साल्हेझरिया	2.40
110.	बसना	टी. 06 (बरोली) से केरामुडा	10.53
111.	बसना	एन. एच. 6 (बरबसपुर) से बरिहापाली	4.80
112.	बसना	बसना पदमपुर रोड से टी. आर. 06 से बिछिया	2.80
113.	बसना	एल. आर. 066 (6 किमी.) से इंदरपर	10.10
114.	बसना	टी. 06 से कयातपाली	1.88
115.	बसना	टी. 06 से परगला	2.30
116.	बसना	एन. एच. 06 से संकरी	3.83
117.	बसना	एन. एच. 06 से जोगीपाली	3.30
118.	बसना	गौरटेक से कुम्हारी	1.90
119.	बसना	टी. 04 से बेंदरी	5.00
120.	बसना	टी. 04 से छिर्राबहरा	2.20
121.	बसना	टी. 04 से झालपाली	2.40
122.	बसना	पुरूषोत्तमपुर से डोगरीपाली	6.85
123.	बसना	टी. 02 से पथियापाली	1.00
124.	बसना	टी. 02 से छिर्राचुआं	2.15
125.	बसना	टी. 02 से कर्राभौना	1.45
126.	बसना	टी. 02 (भंवरपुर) से पतेरापाली	6.60

(1)	(2)	(3)	(4)
127.	सरायपाली	एन. एच. 6 से सिंघनपुर से तोषगांव	5.10
128.	सरायपाली	सराईपाली पदमपुर रोड से किसड़ी	5.00
129.	सरायपाली	डुमरपाली से बारडोली	1.66
130.	सरायपाली	कुटेला से जोगनीपाली	1.40
131.	सरायपाली	बालसी से चकरदा	1.35
132.	सरायपाली	एन. एच. 6 पुटका	4.00
133.	सरायपाली	केन्दुमुड़ी से नूनपानी	6.30
134.	सरायपाली	किसड़ी से कसडोल	2.00
135.	सरायपाली	एन. एच. 6 से छिन्दपाली	2.50
136.	सरायपाली	पदमपुर रोड से कसलबा	6.70
137.	सरायपाली	अर्जुन्दा से देवलभाठा	4.40
138.	सरायपाली	एन. एच. 6 से छिन्दपाली से लिमगांव	2.50
139.	सरायपाली	एन. एच. 216 से दर्राभाठा	1.15
140.	सरायपाली	एन. एच. 216 से केजुआं	2.45
141.	सरायपाली	सराईपाली पदमपुर रोड से भुथिया	1.90
142.	सरायपाली	सराईपाली भवरपुर रोड से मोखापुटका	2.31
143.	सरायपाली	तोरेसिंगा से जंगलबेड़ा	6.63
144.	सरायपाली	एन. एच. 216 से कवरपाली	4.90
145.	सरायपाली	एल. 077 से बैदपाली	0.93
146.	सरायपाली	अमरकोट से चण्डीभौना	2.75
147.	सरायपाली	टी. 09 (केदवां) से पलसापाली	2.15
148.	सरायपाली	केदवा से मोहनमुड़ा	6.20
149.	सरायपाली	टी. 09 से बोंदापाली	2.45
150.	सरायपाली	एस. एच. सराईपाली पदमपुर रोड से कलेण्डा	3.55
151.	सरायपाली	टी. 05 से खैरमाल	1.80
152.	सरायपाली	एन. एच. 216 से गिरसा	2.30
153.	सरायपाली	एन. एच. 6 से केनकवा	6.00
154.	सरायपाली	कुटेला से अंतरझोला	15.00
155.	सरायपाली	जड़गढ़ से केसरताल	2.40
156.	सरायपाली	सिंगारपुर से कोदोगुड़ा	2.00
157.	सरायपाली	जोगनीपाली से मुड़पहार	3.80
158.	सरायपाली	एल. 034 से रिमजी	1.30
159.	सरायपाली	एन. एच. 6 से लांटी	4.00
160.	सरायपाली	सिंघोरा से बांजीबहाल	7.00
161.	सरायपाली	एन. एच. 6 (बसना) से घाटकछार	1.50
162.	सरायपाली	एन. एच. 6 से छिबर्रा (जी)	3.05
163.	सरायपाली	एन. एच. 6 से (छुईपाली) से लखनपुर	4.50
164.	सरायपाली	एन. एच. 6 (सागरपाली) से खरखरी	2.00

यह आदेश जारी तिथि से प्रभावशील होगा.

निहारिका बारिक,
जिला-दण्डाधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th September 2009

No. 700/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place show in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Gautam Chouradiya, Member Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority.	Bilaspur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	District & Sessions Judge Vice Shri I. S. Uboweja.

Bilaspur, the 16th September 2009

No. 702/Confdl./2009/II-2-1/2009.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place show in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ganpat Rao, Additional Registrar (Admn), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Raipur	Raipur	II Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Jaideep Vijay Nimonkar, VI Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Surajpur	Surguja (Ambikapur)	Additional District & Sessions Judge Vice Shri K. L. Charyani.
3.	Shri Onkar Prasad Gupta, XII Additional District & Sessions Judge (F. T. C.).	Durg	Raipur	Raipur	IX Additional District & Sessions Judge (F. T. C.) Vice Smt. Kanta Martin

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Smt. Kanta Martin, IX Addl. District & Sessions Judge (F. T. C.).	Raipur	Durg	Durg	XII Additional District & Sessions Judge (F. T. C.) Vice Shri O. P. Gupta.
5.	Shri Shailesh Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).	Kondagaon	Bhanu-pratappur	Uttar Bastar (Kanker)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Vice Shri K. Vinod Kujur.

Bilaspur, the 16th September 2009

No. 704/Confdl./2009/II-15-21/2000 (Pt. V).— The following Additional District Judge (appointed on adhoc basis for serving in Fast Track Courts), as specified in Column No. (2), is transferred from the place show in column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Additional District Judge is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri K. Vinod Kujur, Additional District & Sessions Judge (F. T. C.).	Bhanu-pratappur	Kondagaon	Bastar (Jagdalpur)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) Vice Shri S. K. Tiwari.

Bilaspur, the 16th September 2009

No. 706/Confdl./2009/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Balindar Singh Saluja, Presently XI Additional District & Sessions Judge (F. T. C.), Raipur is appointed as Additional Registrar (Administration), in the Establishment of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

क्रमांक 6981/तीन-22-3/2008 (बचेली-दंतेवाड़ा).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 649/तीन-22-3/2008, दिनांक 17-01-2008, जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बचेली को श्रृंखला न्यायालय दंतेवाड़ा से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 6981/III-22-3/2008 (Bacheli-Dantewara).—The Notification No. 649/III-22-3/2008 dated 17-01-2008 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Civil Judge Class II & J. M. F. C. Bacheli at Dantewara is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

क्रमांक 6983/तीन-22-3/2008.—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा निम्नलिखित सारणी के कॉलम नम्बर (1) में दर्शित अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक, जिसका कॉलम नम्बर (2) में दर्शित न्यायाधीश के, कॉलम नम्बर (3) में दर्शित स्थान के श्रृंखला न्यायालय से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक (1)	न्यायालय का नाम (2)	स्थान (3)
645/तीन-22-3/2008 17-01-2008	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गुण्डरदेही	दुर्ग
646/तीन-22-3/2008 17-01-2008	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पाटन	दुर्ग

No. 6983/III-22-3/2008.—The following Notification Nos./Date as mentioned in column No. (1) so far as it relates to holding Link Court of the Court mentioned at column No. (2) at the places mentioned at column No. (3) of the table below, are hereby cancelled.

Notification Nos./Date (1)	Name of the Court (2)	Place (3)
645/III-22-3/2008 17-01-2008	Civil Judge Class-II & J.M.F.C., Gunderdehi.	Durg
646/III-22-3/2008 17-01-2008	Civil Judge Class-II & J.M.F.C., Patan.	Durg

By order of the Hon'ble High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.